न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)गंडई–छुईखदान जिला–खैरागढ़,छुईखदान,गंडई(छ0ग0)

रा.प्र.क. 202504290400039 / अ–62 वर्ष 2024–25

प्रारुप–ग

(नियम 3(2)देखिये)

कमांक / 659 / प्रस्तुतकार–1 / अ.वि.अ. / 2025 गंडई–छुईखदान दिनांक 16 / 06 / 2025

प्रति,

जतीराम पिता भारत जाति गोड़
ग्राम–टुटागढ़ प.ह.न. 10 रा.नि.मं. बकरकट्टा तहसील छुईखदान
जिला–खैरागढ़,छुईखदान,गंडई (छ.ग.)

विषय – प्राकृतिक रुप से उगे वृक्ष कटाई हेतु अनुज्ञा।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 11.04.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 11.04.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 5.06.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षो की स्थिति निम्नानुसार है:–

1.खाते के शुष्क वृक्षो की प्रजाति और संख्या – सागौन 00 नग,

2.खाते के परिपक्व वृक्षो की प्रजाति एवं संख्या – सागौन 06 नग,

आवेदित भूमि ख.न. 14/2 रकबा 0.628 हे. में निम्नाकित वृक्षो को काटने की अनुसंशा की गई है।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर चहुँचता हूँ कि ख.न. 14/2 रकबा 0.628 हे. ग्राम टुटागढ़ प.ह.न. 10 रा.नि.मं. बकरकट्टा तहसील छुईखदान स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति सागौन एवं संख्या कमशः 06 है को काटे जाने पर, संहिता के किन्ही उपबंधो का उल्लघंन नही हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क.9 सन 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वनोपज) नियम 2001 का पालन नही किये जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
गंडई–छुईखदान

कमांक / 660 / प्रस्तुतकार–1 / अ.वि.अ. / 2025 गंडई–छुईखदान दिनांक 16 / 06 / 2025

प्रतिलिपी:–

1.कलेक्टर जिला खैरागढ़,छुईखदान,गंडई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

2.वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।

3.वन परिक्षेत्र अधिकारी छुईखदान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4.तहसीलदार तहसील छुईखदान को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
गंडई–छुईखदान